

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारा (राज.)

क्र/प्रार्थना पत्र सं	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
6/16	136 Crut.	मेलखी	बारा
वादो	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रकाश	बनाम	सकार	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
21-6-16	अभिभाषक जमीन का जर्नाल पत्र इन्तर्गत धारा 136 Crut. का बिन्दु पूर्व कड़ी के त्वाग के पेश किया गया। रिपोर्ट सरिसा का क्वलिक किया गया। प्रकरण दर्ज रजि किया गया। कजमी को जर्न लागू रखे किया जाकर पंजावली दिनांक 21-7-16 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारा	
21-7-16	पंजावली पेश हुई कजमी जर्न। कजमी के लागू का लागू कजमी इन्तर्गत लागू पंजावली दिनांक 1-9-16 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारा	
1-9-16	पीठासीन अधिकारी को कार्य में रहने से पूर्व दिनांक 3-11-16 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी, बारा	
3/11/16	पीठासीन अधिकारी को कार्य में रहने से पूर्व दिनांक 21/1/17 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारा	
2/1/17	पीठासीन अधिकारी को कार्य में रहने से पूर्व दिनांक 22/2/17 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारा	
22/2/17	पेश की गई जर्न कजमी का जर्नल पत्र इन्तर्गत कजमी कजमी की जर्नल पत्र इन्तर्गत पेश करे तारी 6/4/17 पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारा	

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां


उनवान

प्रकाश बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या D06/16

दायरा तिथि :- 21.06.2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। नक्शा दुरुस्ती के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां उपखण्ड अधिकारी बारां</p>	